गुरदित सिंह बनाम गुरदेव सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 99 सन् 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/401

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.02.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया गया है कि राजस्व ग्राम 51 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 21/22 के मुरब्बा नम्बर 2 की 2.568 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से पंजीकृत बैयनामा दिनांक 06.07.1969 से खरीद की गई है। खरीद की दिनांक से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थी व उसके परिवार की रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को उक्त भूमि का नामान्तरण हमारे नाम दर्ज करवाने के लिए कहा तो अप्रार्थी स्पष्ट इन्कार हो गये और अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार ने स्पष्ट कहा कि भूमि हमारे नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज है, अब हम उक्त भूमि पर ऋण लेकर उक्त भूमि को भारग्रस्त कर देगें। यही वाद कारण है। अतः उक्त भूमि के सम्बन्ध में ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश दिए जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादगत भूमि अप्रार्थी अथवा मुझ अप्रार्थी के पिता द्वारा कभी भी प्रार्थी गुरदित सिंह को बचान नहीं की गयी। उक्त भूमि पूर्व में मुझ अप्रार्थी के पिता द्वारा प्रार्थी को ठेका पर काश्त करने के लिए दी जाती थी। अप्रार्थी व उसके पिता ग्रामीण परिवेश के भोले–भाले अनपढ व्यक्ति होने के कारण प्रार्थी द्वारा ठेकानामा की आड में उक्त कथित बैयनामा तैयार करवाया गया है। वास्तव में उक्त वर्णित सौदा कभी हुआ ही नही तथा ना ही प्रार्थी द्वारा कोई प्रतिफल राशि अदा की गयी। विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त हस्तातंरण अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को किया गया है। इसलिए उक्त हस्तातंरण विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से शुरू से ही शून्य है और मुझ अप्रार्थी के अधिकारो व हितो पर निष्प्रभावी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज फरमाया जावे। लिहाजा राजस्व ग्राम 51 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 21/22 के मुरब्बा नम्बर 2 की 2.568 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी संख्या 1 गुरदेव सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 1 वादगत भूमि का अभिलिखित खातेदार है। यदि अभिलिखित खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। अप्रार्थी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर